MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH, NEW DELHI, INDIA

AND

THE PNG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH, NEW DELHI, INDIA

AND

THE PNG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA

This Memorandum of Understanding, herein referred to as "MoU", is made and entered into on the date of the final signature hereto, by and between:-

- THE INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH (ICAR) having its office at Dr Rajendra Prasad Road, Krishi Bhawan, New Delhi – 110001, India, a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (herein after called "the Council") as the first party, and

- THE PAPUA NEW GUI NEA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, established in 1986 by an Act of Parliament of Papua New Guinea, (No. 31 of 1986) having its headquarters in Lae, Papua New Guinea (hereinafter referred to as "UNITECH") as the second party.

- Collectively referred to as "parties":

WHEREAS the Council is charged with the responsibility in India to undertake, aid, promote and coordinate agricultural, research and its application in practice, students and staff exchange between the UNITECH and Agricultural Institutions in India; to act as a clearing house of information, in regard to Horticulture and Agricultural research and related matters generally and to do all other things as it may consider necessary, incidental and conductive to the attainment of these objectives;
AND WHEREAS the UNITECH undertakes, students and staff exchange, promotes and coordinates research and its application in practice in many areas of horticulture and agriculture;

The purpose this Memorandum of Understanding is to foster closer ties between the two organizations in their common objectives of promoting and accelerating the progress and cooperation in horticulture, agricultural research and development, students and staff exchange between UNITECH and Institutions of ICAR.

The Parties agree to cooperate in the following spheres:

a. Development and implementation of joint research projects, the scope and methodology of which will be confirmed, upon compliance with the provisions made in the Memorandum;
b. Exchange of research equipment and its joint usage within the framework of programs of general interest;
c. Exchange of scientific and technical staff members through internships and grading courses, as well as making contacts with scientific and technological departments of Parties’ organizations:
d. Research works, information and methodology exchange;
e. Exchange of technologies for upgradation of extension centres, demonstration sites in both the countries.

ARTICLE I

OBJECTIVES OF THE INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH;

(i) To plan, undertake, aid, promote and co-ordinate education, research, and its application in horticulture, agriculture, rice research, agroforestry, animal husbandry, fisheries, home science and allied sciences.

(ii) To act as a clearing house of research and general information relating to horticulture, agriculture, rice research, animal husbandry, home science, allied science and fisheries through its publications and information system, and by instituting and promoting transfer of technology programs.

(iii) To provide, undertake and promote consultancy services in the fields of education, research, training and dissemination of information in
horticulture, agriculture, rice research, agroforestry, animal husbandry, fisheries, home science and allied sciences.

(iv) To look into the problems relating to broader areas of rural development concerning horticulture, agriculture, rice research, including post – harvest technology by developing cooperative programs with other organizations and the Universities.

(v) To promote visits by scientists/experts and exchange of documents and scientific information between the two organizations.

(vi) To provide scholarships for UNITECH students to pursue their higher degree and research in institutions of ICAR.

(vii) Exchange of research equipment’s and its joint usage within the framework of programs of general interest.

ARTICLE II

OBJECTIVES OF THE PAPUA NEW GUINEA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

(i) Making provision for imparting education in agriculture and allied sciences and humanities.

(ii) Furthering the advancement of learning and prosecution of research in agriculture and other allied sciences.

(iii) Undertaking the extension, through appropriate media, of agriculture and other allied sciences especially in rice research.

(iv) Making provision for the study of basic sciences and humanities, with a view to supporting other professional studies and thereby integrating such studies in the University curricula.

(v) Undertaking the integration of teaching, research and extension training with a view to promoting the productivity of agriculture.

(vi) Conferring such degree, diplomas, certificates and other academic distinctions as the University may deem fit.

(vii) Exchange of staff and students and training of scientists for education and research of mutual interest information in horticulture,
agriculture, rice research, agroforestry, animal husbandry, fisheries, home science and allied sciences.

(viii) Collaborative research programs, seminars and workshops identified and agreed amongst ICAR and UNITECH.

ARTICLE III

PUBLICATIONS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS;

Each party will ensure appropriate protection of intellectual property rights generated from cooperation pursuant to MOU, consistent with their respective laws, rules and regulations and international agreements to which both parties and signatories.

Any publication, document and/or paper arising out of joint work conducted by the participants pursuant to this MoU will be jointly owned. The use of the name, logo and/or official emblem of the participants on any publication, document and/or paper will require prior permission of both the participants. It may however be ensured that the official emblem and logo is not misused.

General clauses:

(i) Each Party will ensure appropriate protection of Intellectual Property Rights generated from cooperation pursuant to this MoU, consistent with their respective laws, rules and regulations and international agreements to which both parties are committed.

(ii) In case research is carried out solely and separately by one Party or the research results are obtained through the sole and separate effort of one Party, the Party concerned alone will apply for grant of IPR and once granted, the IPR will be solely owned by the concerned Party.

(iii) In case of research results obtained through joint activities, the grant of intellectual property rights will be sought by both Parties jointly and once granted these rights will be jointly owned by the Parties.

(iv) The Parties shall not assign any rights and obligations arising out of the IPR generated to inventions/activities carried out under the MoU to any third party without the consent of the other Party.
Commercialization:

In case of research results obtained through joint activities under this MoU both the Council and the Corporation will apply as co-applicants for the protection of intellectual property rights subject to exclusive rights of both the parties to commercialize the technology in their respective counties. Commercialization in any other country shall be done jointly through a separate agreement.

Publication:

Any publication, document and/or paper arising out of joint work conducted by the Parties pursuant to this MoU will be jointly owned. The use of the name, logo and/or official emblem of the Parties on any publication, document and/or paper will require prior permission of both the Parties. It may however be ensured that the official emblem and logo is not misused.

Confidential Information:

(i) All information and documents to be exchanged pursuant to this Memorandum of Understanding will be kept confidential by the Parties and will be used subject to such terms as each Party may specify. A Party will not use the information for purposes other than that specified without the prior written consent of the other Party.

(ii) All Confidential Information shall remain the exclusive property of the disclosing Party. The Parties agree that the disclosure of the Confidential Information do not grant or imply any license, interest or right to the Recipient in respect to any intellectual property right of the other Party.

(iii) Unpublished information, whether oral, in writing or otherwise, discovered or conceived by the scientists or technicians and exchanged under the provisions of this MoU will not be transmitted to a third party, unless otherwise agreed by the Parties.

ARTICLE IV

AMENDMENTS

The parties to this MoU may, by mutual consent, add, modify, amend or delete any words, phrases, sentences or articles in this MoU. All modifications to this MoU must be in writing and signed by both Parties.
ARTICLES V

FINANCIAL ARRANGEMENTS
Each institution will be responsible for sourcing the funds to support its involvement in the cooperative activities under the projects contemplated under this MoU, and all activities will be dependent upon the budgetary appropriations of the Parties.

ARTICLE VI

NON – BINDING NATURE
This MoU is not, in any way, binding on either Party. It serves only as a record of the Parties’ intention to identify areas of joint interest and possible cooperation between them. The Parties shall negotiate agreements or those projects which they mutually decide to pursue.

ARTICLE VII

VALIDITY/TERMINATION
The MoU shall come into force on the day of its final signing and remain in force for a period of five (5) years, unless either Party serves notice to the other of its intention to terminate it, in which event, the MoU shall be terminated at the end of three calendar months from the date of issue of such notice. The termination of this MoU shall not affect the validity or duration of specific collaborative programs already being undertaken thereunder, unless decided otherwise by the Parties by mutual consent.

ARTICLE VIII

IN WITNESS WHEREOF, the authorized representative of both parties have hereunto affixed their signature on the dates indicated below:

Singed in Port Moresby on 29 April 2016 into two originals in the English language. All activities in terms of this MoU shall be subject to the
applicable domestic laws of the country where the activities are carried out.

On behalf of Indian Council for Agricultural Research, New Delhi, India

HE Mr Nagendra Kumar Saxena
High Commissioner of India to Independent State of Papua New Guinea

On behalf of PNG University of Technology, Lae

Dr. Albert Schram PhD
Vice Chancellor
PNG University of Technology, Lae
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, भारत

और

पीएनजी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, एलएई पपुआ-न्युगुइनिया

cे बीच

समझौता जापन

यह समझौता जापन जिसे इसमें इस के बाद एमओयू कहा जाएगा,

• भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआई), जिसका कार्यालय डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, कृषि भवन, नई दिल्ली-11001, भारत में स्थित है, एक सोसाइटी जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है (जिसे इसमें इसके बाद “परिषद्” कहा जाएगा) प्रथम पत्रकार, और

• द पपुआ न्यु गुइनिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे पपुआ न्यु गुइनिया की संसद के एक अधिनियम (सं. 1986 का 31) के दूरारा 1986 में सुथापित किया गया है (जिसे इसमें इसके बाद “यूनिटेक” कहा जाएगा) दूसरा पत्रकार,

• जिन्हें सामूहिक रूप में “पत्रकार” कहा जाएगा,

के बीच इस पर दोनों पत्रकारों द्वारा अन्तिम रूप से हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को सम्पन्न हुआ माना जाएगा।

जबकि परिषद् को भारत में कृषि अनुसंधान और व्यावहारिक रूप में इसके अनुप्रयोग को शुरू करने, सहायता देने, बढ़ावा देने तथा समन्वय करने, भारत में यूनिटेक और कृषि संस्थानों के बीच चारों और कर्मचारियों का आदान-प्रदान करने, बागानी में कृषि अनुसंधान तथा संबंधित मामलों के संबंध में समानान्त रूप से सूचना का आदान-प्रदान करने के क्लीनिकल हाउस के रूप के कार्य करने तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक, प्रारंभिक और एवं सहायक ऐसे सभी अन्य कार्य करने, जिन्हें यह आवश्यक समझाती है, की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

और जबकि यूनिटेक ने बागानी में कृषि के बहुत से हेतु में छात्रों और कर्मचारियों का आदान-प्रदान करने, अनुसंधान और इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देने और समन्वय करने का उत्तरदायित्व सूत्राधिकृत किया है।
इस समझौता जापन का उद्देश्य बागवानी, कृषि अनुसंधान तथा विकास, यूनिटिक तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के बीच छात्रों और कर्मचारियों के आदान-प्रदान के कार्य में प्रगति और सहयोग को बढ़ावा देने के उनके एक सामान्य उद्देश्यों में इन दो संगठनों के बीच घनिष्ट सम्बन्ध को सुरक्षित बनाना है।

दोनो पक्षकार मिलकर लिखित क्षेत्रों में सहयोग करने हेतु सहमत हैं:-

क. संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का विकास एवं कार्यान्वयन, जिनके विषय क्षेत्र और प्रणाली तंत्र की इस जापन में किए गए उपकरणों के अनुपालन के दौरान पुकार की जाएगी।

ख. सामान्य दिलचस्पी के कार्यक्रमों के कार्यालयों के भीतर अनुसंधान उपस्थित का आदान-प्रदान और संयुक्त उपकरण;

ग. प्रशिक्षणता और शिक्षित पाठ्यक्रमों के जरिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्तरफ के सदस्यों का आदान-प्रदान करना तथा इसके साथ-साथ पक्षकार संगठनों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी विभागों के साथ संपर्क स्थापित करना;

घ. अनुसंधान कार्य, सूचना और प्रणाली तंत्र का आदान-प्रदान;

ड. दोनों देशों में विस्तार केंद्रो, प्रदर्शन स्थलों के उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकियों का आदान-प्रदान;

अनुच्छेद -1
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उद्देश्य

(i) बागवानी, कृषि, चावल अनुसंधान, कृषिविज्ञानिक, पशुपालन, मात्रिकी, गृह विज्ञान और सम्बन्धित विज्ञानों में शिक्षा, अनुसंधान और इसके अनुप्रयोग की आयोजना तैयार करना; शुरू करना, सहायता, बढ़ावा देना और समन्वय करना।

(ii) बागवानी, कृषि, चावल अनुसंधान, पशुपालन, गृह विज्ञान, सम्बन्धित विज्ञान और मात्रिकी से संबंधित अनुसंधान और सामान्य सूचना को इसके प्रकाशनों और सूचना प्रणाली के जरिए तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम संस्थापित कर कृषि-विद्याभूमि हाउस के रूप में कार्य करना;

(iii) बागवानी, कृषि, चावल अनुसंधान, कृषिविज्ञानिक, पशुपालन, मात्रिकी, गृह विज्ञान और सम्बन्धित विज्ञानों में शिक्षा अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं सूचना के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं को उपलब्ध कराना, आरंभ करना, और बढ़ावा देना।
(iv) अन्य संगठनों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोगी कार्यक्रम विकसित करके सस्त्रायोग्य प्रौद्योगिकी सहित बागवानी, कृषि, चावल अनुसंधान से संबंधित ग्रामीण विकास के व्यापक क्षेत्रों के संबंध में समस्याओं की ओर प्रदान की गई है।

(v) दोनों संगठनों के बीच वैज्ञानिक/विशेषज्ञों के दौरों तथा दस्तावेजों एवं वैज्ञानिक सूचना के आदान-प्रदान का बढावा देना;

(vi) यूनिटेक के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना ताकि वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में उपचार्य डिग्री और अनुसंधान को जारी रख सकें।

(vii) सामान्य दिल्लीपुर के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के भीतर अनुसंधान उपस्थित का आदान-प्रदान तथा उसका संयुक्त प्रयोग।

अनुसूचित-11
पापुआ न्यू गुंडनिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलोजी के उद्देश्य

(i) कृषि और सम्बद्ध विज्ञानों तथा मानविकी (हयुमिनिटीज) में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक करना।

(ii) कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विज्ञानों में लेखन और अनुसंधान लिपिपतथ से प्रगति को आगे और बढ़ाना।

(iii) कृषि और सम्बद्ध विज्ञानों, विशेष रूप से चावल अनुसंधान के क्षेत्रों में उपयुक्त मीडिया के जरिए विस्तार कार्य शुरू करना।

(iv) अन्य व्यावसायिक अध्ययनों को सहायता प्रदान करने तथा उक्त अध्ययनों का विश्वविद्यालय के साथ वस्तु तो समर्पित करने के उद्देश्य से मूल विज्ञान और मानविकी (हयुमिनिटीज) के अध्ययन के लिए प्रारंभिक करना।

(v) कृषि की उत्पादकता का प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार प्रशिक्षण के समक्ष करना।

(vi) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र तथा अन्य शैक्षणिक डिप्लोमाशी प्रदान करना, जैसा कि विश्वविद्यालय उपचित समझता है।
(vii) बागवानी, कृषि, चावल अनुसंधान, कृषि वाणिज्य, फस्फायल, मात्रिकी, मूह विज्ञान और समस्त विज्ञानों में परस्परिक दिलचस्पी से संबंधित सूचना के अनुसंधान और शिक्षा के लिए कला चित्रों और छायांक का आदान-प्रदान और वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

(viii) भाकृअनुप और यूनिटेक के बीच अभिज्ञात एवं संविधान सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना।

अनुच्छेद - III

प्रकाशन और बौद्धिक सम्पदा अधिकार:

प्रतियोग पत्रकार द्वारा अपने-अपने संबंधित विषयों, नियमों और विनियमों तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, जिन पर दोनों पत्रकारों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, से संबंधित एमओसी के संदर्भ में सहयोग से सुरक्षित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का उपयुक्त संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

इस एमओसी के संदर्भ में सहभागिताओं द्वारा संयुक्त रूप से किए गए कार्य के संबंध में कोई भी प्रकाशन, प्रस्तुति और या कागज का स्वामित्व संयुक्त रूप से होगा। किसी भी प्रकाशन, प्रस्तुति और या कागज पर सहभागिताओं के नाम, लोगों और या आधिकारिक चिन्ह का उपयोग करने के लिए दोनों सहभागिताओं की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आधिकारिक चिन्ह और लोगों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।

सामान्य खंड:

(i) प्रतियोग पत्रकार द्वारा अपने-अपने संबंधित विषयों, नियमों और विनियमों तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, जिन पर दोनों पत्रकारों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, से संबंधित एमओसी के संदर्भ में सहयोग से सुरक्षित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का उपयुक्त संरक्षण किया जाएगा।

(ii) यदि अनुसंधान पूर्णतः से अधोत्स्व से एक ही पत्रकार द्वारा किया जाता है तथा अनुसंधान परिणाम एक ही पत्रकार के पूर्णतः से अधोत्स्व प्राप्त रहे हैं तो संबंधित पत्रकार ही आईपीआर की मंजूरी के लिए आवेदन देगा और मंजूरी मिलने के पश्चात आईपीआर का पूर्ण स्वामित्व संबंधित पत्रकार का होगा।

(iii) यदि अनुसंधान परिणाम संयुक्त निर्यातकारों के जरिए प्राप्त किए जाते हैं, तो बौद्धिक सम्पदा अधिकार के लिए आवेदन दोनों पत्रकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और मंजूरी मिलने के पश्चात इन अधिकारों का स्वामित्व संयुक्त रूप से दोनों पत्रकारों का होगा।
(iv) एमओयू के अंतर्गत की गई यूनिटों/ क्रियाकलापों से सुरूज्यता/आर्थिक संबंधित अधिकारों और वाणिज्यिकीयाँ नि:शुल्क पत्रकारी की सहमति के बिना किसी तीसरे पत्रकार को नहीं सौंपेगा।

वाणिज्यिकीयाँ:

यदि इस एमओयू के अंतर्गत अनुसंधान परिषद प्रसंगी क्रियाकलापों के जरिए प्राप्त किए जाते हैं तो परिषद तथा निगम दोनों वैद्युतिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण के लिए सह-आवेदकों के रूप में आवेदन करेगे बशार कि दोनों पत्रकारों के पास अपने संबंधित देशों में प्रदूषणिक/ का वाणिज्यिकीयाँ करने का पूर्ण अधिकार हो। किसी अन्य देश में वाणिज्यिकीयाँ संयुक्त रूप से एक अलग कार द्वारा माध्यम से किया जाएगा।

प्रकाशन:

इस एमओयू के परिषद प्रसंगी क्रियाकलापों द्वारा किए गए संयुक्त कार्य से संबंधित कोई भी प्रकाशन, दस्तावेज और/या कागज का सुविधाजनक संयुक्त रूप से होगा। किसी भी प्रकाशन, दस्तावेज और/या कागज पर पत्रकारों के नाम, लोगों और/या आधिकारिक चिन्ह का उपयोग करने के लिए दोनों पत्रकारों की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आधिकारिक चिन्ह और लोगो का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।

गोपनीय सूचना:

(i) इस समझौता जानक के संदर्भ में आदान-प्रदान की जाने वाली कोई भी सूचना और दस्तावेजों को पत्रकारों द्वारा गोपनीय रखा जाएगा और उनका उपयोग प्रत्येक पत्रकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार दिए जाएगा। कोई भी पत्रकार दूसरे पत्रकार की लिखित सहमति के बिना सूचना का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन के अंतर्गत नहीं करेगा।

(ii) सभी गोपनीय सूचनाएं प्रकटन पत्रकार की पूर्ण सम्पत्ति होगी। पत्रकार यह सूचित करते हैं कि गोपनीय सूचना का प्रकटन किया जाने का अर्थ यह नहीं है कि दूसरे पत्रकार के किसी भी वैद्युतिक सम्पदा अधिकार के संबंध में सूचनाप्राप्तकरों को कोई लाइसेंस, दिलचस्पीय और/या आधिकारिक को मजबूती या सहमति प्रदान करना है।

(iii) इस एमओयू के उपभोक्ता के अधीन दायित्वों का तस्करी विवेकों द्वारा आदान-प्रदान की गई कोई भी अप्रकट लाइसेंस, चाहे वह लिखित या निश्चित या अन्यथा कुछ न हो, जठाल या परिस्तित सूचना को पत्रकारों द्वारा सहमति प्रदान न किए जाने तक किसी तीसरे पत्रकार को अर्थशास्त्र नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद - IV

संशोधन

इस एमओयू से संबंधित पत्तकार आपसी सहमति से एमओयू में कोई भी शब्द, पद, वाक्य या अनुच्छेद को आपसी सहमति से जोड़ सकते हैं, परिशोधन, संशोधन या हटा सकते हैं। इस एमओयू में सभी संशोधन लिखित में होने चाहिए और उस पर दोनों पत्तकारों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

अनुच्छेद - V

वित्तीय व्यवस्थाप

प्रत्येक संस्था इस एमओयू के तहत परिकल्पित सभी परियोजनाओं के अंतर्गत सहयोगात्मक क्रियाकलापों में अपनी समर्पण देने हेतु निर्देशित प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी और सभी क्रियाकलाप पत्तकारों के बजटीय विनियोजनों पर निर्भर होंगे।

अनुच्छेद - VI

गैर-बाध्यकारी सुवर्ण

यह समझौता जापन किसी भी पक्ष पर बाध्यकारी नहीं है। यह उनके बीच संयुक्त हितों एवं संभावित सहयोग के क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए पक्षों के अभिप्राय के रिकार्ड के रूप में कार्य करता है। पत्तकार उन कारों या उन परियोजनाओं पर वातावरण करेगे जिनके वे पारस्परिक रूप से अनुकरण करने का निर्णय करते हैं।

अनुच्छेद - VII

वैधता/ समापन

समझौता जापन इसके अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए जाने के दिन से लागू होगा और पांच वर्ष की अवधि के लिए तब तक लागू रहेगा जब तक कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को इसे समाप्त करने के अपने अभिप्राय का नोटिस नहीं देता है, जिस दिशा में समझौता जापन इस प्रकार के नोटिस को जारी करने की तारीख से तीन कैलेंडर महिनों के अंत में समाप्त हो जाएगा। जब तक पक्षों द्वारा पारस्परिक सहमति से अनुमोदि निर्णय नहीं लिया जाता, इस समझौता जापन का समापन उस संबंध में पहले से शुरू किए गए विशिष्ट सहयोगी कार्यक्रमों की वैधता या अवधि को प्रभावित नहीं करेगा।
अनुच्छेद - VIII

इसके साक्ष्य में दोनों पक्षों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने नीचे लिखित तारीखों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं:

दिनांक 29 अप्रैल 2016 को दो मूल प्रतियों में अंग्रेजी भाषा में हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौता जापान की शर्तों में सबसे कार्यकलाप देश में लागू आंतरिक नियमों, जहां ये कार्यकलाप किए जाते हैं, के अधीन होंगे।

<table>
<thead>
<tr>
<th>सं.</th>
<th>नाम और पता</th>
<th>हस्ताक्षर और तारीख</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1.  | नागेन्द्र कुमार सकसेना  
पापुआ न्यू गिनी के स्वतंत्र गणराज्य  
में भारत के उच्चायुक्त | [Signature]          |
| 2.  | डॉ. अलबर्ट सुकरम  
कुलपति  
पीएनजी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
प्राइवेट डाक बैग 411, एलएई,  
.मोरोबे प्रौद्योगिकी,  
पापुआ न्यू गिनीया | [Signature]          |